

D

(21223)

LL.B.-III Sem.

Printed Pages : 4
Roll No.

13177

LL.B. Examination, December-2023

LAW

Administrative Law

(K-3003)

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 100

Note : Attempt questions from all Sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section-A

(खण्ड-अ)

(Very Short Answer Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Answer all the five questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $5 \times 4 = 20$

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. Write down the causes for growth of Administrative Law.

प्रशासनिक विधि के विकास के कारण लिखिए।

2. What do you mean by 'Reasoned decision' ?
'सकारण निर्णय' से आप क्या समझते हैं ?

13177

<https://www.ccsustudy.com>

[P. T. O.]

(2)

3. Explain in very brief the essentials of writ of Habeas Corpus.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के आवश्यक तत्वों का अति-संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

4. What is the object of writ of prohibition ?

प्रतिषेध याचिका का क्या उद्देश्य है ?

5. What is the object of Public Interest Litigation ?

लोकहित वाद का क्या उद्देश्य है ?

Section-B

(खण्ड-ब)

(Short Answer Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Answer any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $2 \times 10 = 20$

नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

6. No one shall be condemned un-heard. Discuss with the help of decided cases.

किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना दण्डित नहीं किया जा सकता है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

7. What do you mean by writ of Quo-Warranto ? With the help of decided cases discuss the scope of this writ.

13177

<https://www.ccsustudy.com>

अधिकार पृच्छा याचिका से आप क्या समझते हैं ? निर्णीत वादों की सहायता से इस याचिका के क्षेत्र विस्तार की विवेचना कीजिए।

8. Discuss constitution, functions and powers of Administrative Tribunal.
प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन, कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए।

Section-C

(खण्ड-स)

(Detailed Answer Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Answer any three questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail. $3 \times 20 = 60$

नोट : निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. Rule of law implies that every citizen is subject to law. In the light of this fact, discuss Doctrine of Rule of Law as propounded by Prof. A. V. Dicey. How this doctrine is relevant in Indian legal system ? Discuss with the help of decided cases.

विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक विधि के अधीन है। इस तथ्य के आलोक में, प्रो. ए.वी. डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भारतीय विधिक व्यवस्था में यह सिद्धांत किस प्रकार से उपयोगी है ? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

10. Doctrine of separation of powers speaks about the division of the legislative, executive and judicial functions of government among separate. Discuss this doctrine with the help of decided cases. How this doctrine is implicit in our constitution. Discuss.

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग और स्वतंत्र निकायों के विभाजित करने की बात करता है। निर्णीत वादों की सहायता से इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हमारे संविधान में यह सिद्धांत किस प्रकार से सन्निहित है। विवेचना कीजिए।

11. What do you mean by delegated legislation? Explain the judicial control over delegated legislation. Refer to decided cases.

प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं ? प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए।

12. With the help of decided cases discuss maxim 'Nemo judex in causa sua'.

निर्णीत वादों की सहायता से सूत्र 'नेमो जुडेक्स इन काउसा सुआ' की विवेचना कीजिए।

13. Discuss critically the powers, functions and role of ombudsman in India.

भारत में लोकपाल के शक्तियों, कार्यों एवं भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।